23/8/22 — अभिलेखागार उपस्थित, पत्रावली से सम्बन्धित
निर्णय पुस्तक से लिखवाया जाकर नकल
किया गया। वादिनी द्वारा पत्रावली से
पर्चा जारी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत
किया गया। स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत होने
पर पर्चा जारी जाती की जाती है।
पत्रावली नकलकक्ष हो, पत्रावली द्वारा
पंजिका के क्रम से जमा की जाकर
निर्णय की सूची में दाखिल हो।

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार मीना , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 84 / 2019
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. जीवन ज्योति पत्नी संदीप गौड़, जाति ब्राहम्ण, आयु 41 वर्ष, निवासी III / 1 सिविल लाईन, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

....वादीया

व ना म

1. गुरतेज सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखदेव सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. काला सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. पाल सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. मलकीयत सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. निहाल सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. बीबी बाई पत्नी श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. विधा बाई पुत्री श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. वीरो बाई पुत्री श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. गुरमीत कौर पुत्री श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री सुभाष मिढा (वादी)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 11)

दिनांक 29 अगस्त, 2022

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में वादिया के नाम चक 3 एफ बड़ा पटवार हल्का कोनी तहतील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27 / 26 मुरब्बा नम्बर 23 में संयुक्त खाता में प्रतिवादीगण के साथ कृषि भूमि 6.325 हैक्टे0 दर्ज है जिसमें से वादिया द्वारा 1.265 हैक्टे0 भूमि खरीद की हुई है। वादिया के कब्जा काश्त में चक 3 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नं0 16 ता 20 कुल 5.00 बीघा यानि कि 1.265 हैक्टे0 भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से होने के कारण वादिया को उक्त भूमि में सुधार करने एवं वित्तीय सहायता आदि प्राप्त करने में काफी दिक्कत आती है। इस सम्बंध में वादिया द्वारा कई बार प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का बंटवारा कब्जा अनुसार करने का आग्रह अपने पति संदीप गौड़ के माध्यम से किया गया, परन्तु प्रतिवादीगण हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल–मटोल करते आ रहे है। जबकि वादिया अपने कब्जा काश्त की भूमि में वित्तीय सहायता व भूमि में

29.08.2022

सुधार करने के लिये काफी कठिनाई का सामना कर रही है। इसलिये उक्त भूमि मुरब्बा नं0 23 के किला नं0 16 ता 20 की घोषणा करवाने की अधिकारी है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 11 जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार है। इसलिए वाद श्रीमान न्यायालय क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दावा वादीगण के पक्ष व विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:- (क) वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की जावे कि चक 3 एफ बड़ा पटवार हल्का कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/26 मुरब्बा नम्बर 23 में 1.265 हैक्टे0 भूमि यानि किला नं0 16 ता 20 कुल 5 बीघा भूमि की मालिक व हकदार घोषित कर डिक्री प्रदान की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 11 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 11 राज्य पक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 03.08.2021 प्रस्तुत किया गया।

तहसीलदार भू. अ. श्रीगंगानगर के पत्रांक 4667 दिनांक 07.03.2022 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में कब्जा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनने के पश्चात वकील वादी के निवेदन पर वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिंक्री जारी कर तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर द्वारा जरिये कमांक 3026 दिनांक 26.08.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रषित किया गया। वकील वादी द्वारा तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

-: आदेश :-

वाद वादिया स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादिया को निम्नप्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:-

क. सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	जीवन ज्योति पत्नी संदीप गौड़	चक 3 एफ बड़ा, मुरब्बा नं0 23, किला नं0 16, 17, 18, 19, 20 में कुल 1.265 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि

वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना व्यय करेगें। स्टाम्प डयूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29 अगस्त, 2022 को जारी किया गया।

29.08.2022

मनोज कुमार मीना

(आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीगंगानगर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार मीना , आर.ए.एस.

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

वादपत्र संख्या 84 / 2019
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. जीवन ज्योति पत्नी संदीप गौड़, जाति ब्राह्मण, आयु 41 वर्ष, निवासी III / 1 सिविल लाईन, तहसील व जिला श्रीगंगानगर। **....वादीया**

ब ना म

1. गुरतेज सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखदेव सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. काला सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. पाल सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. मलकीयत सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. निहाल सिंह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. बीबी बाई पत्नी श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. विधा बाई पुत्री श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. वीरो बाई पुत्री श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. गुरमीत कौर पुत्री श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख, निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। **...प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री सुभाष मिढा (वादी)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 11)

दिनांक **29 अगस्त, 2022**

वादपत्र संख्या 84 / 2019
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री सुभाष मिढ़ा एवं पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 11 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि – वाद वादिया स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादिया जीवन ज्योति पत्नी संदीप गौड को चक 3 एफ बड़ा, मुरब्बा नं0 23, किला नं0 16, 17, 18, 19, 20 में कुल 1.265 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

dw.
29.08.2022

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29 अगस्त, 2022 को डिक्री जारी की जाती है।

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

29.08.2022

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर